"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5 2001."

पंजीयन क्रमांक
"छ. ग./दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 28 जून 2013—आषाढ़ 7, शक 1935

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, किशन नेताम पिता-रंजीत नेताम, उम्र-53 वर्ष, निवासी-ब्लाक-61, क्वा. नं.-जी, रिसाली सेक्टर, भिलाई, तह. व जिला -दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र के कोक ओवन एवं कोल केमिकल प्लांट भिलाई में तकनीशियन के पद पर कार्यरत हूं तथा मेरा पर्सनल नंबर 897051 है. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड व समस्त अभिलेखों में मेरा नाम "किशन" अंकित है, के साथ मैं अपना उपनाम (सरनेम) "नेताम" जोड़े जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे किशन नेताम पिता रंजीत नेताम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	नया नाम
किशन पिता-रंजीत नेताम निवासी-ब्लाक-61 क्वा. नं.-जी, रिसाली सेक्टर भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	किशन नेताम पिता-रंजीत नेताम निवासी-ब्लाक-61 क्वा. नं.-जी, रिसाली सेक्टर भिलाई तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भागीरथी वर्मा आ. कन्हैयालाल वर्मा, उम्र-51 वर्ष, निवासी-के. पॉकेट, ब्लाक-33/बी, मरौदा सेक्टर, भिलाई नगर, तह. व जिला -दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं भिलाई इस्पात संयंत्र के कोक ओवन एवं कोल केमिकल प्लांट भिलाई में सी. तकनीशियन के पद पर कार्यरत हूं तथा मेरा पर्सनल नंबर 896981 है. यह कि मेरे भिलाई इस्पात संयंत्र के सर्विस रिकार्ड व समस्त अभिलेखों में मेरा नाम "भागीरथी" दर्ज है, के साथ मैं अपना उपनाम (सरनेम) "वर्मा" जोड़े जाने हेतु सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ-पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब से मुझे भागीरथी वर्मा पिता कन्हैयालाल वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जाये.

पुराना नाम	**नया नाम**
भागीरथी पिता-कन्हैयालाल वर्मा निवासी-के. पॉकेट, ब्लाक-33/बी मरौदा सेक्टर, भिलाई नगर तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	भागीरथी वर्मा पिता-कन्हैयालाल वर्मा निवासी-के. पॉकेट, ब्लाक-33/बी मरौदा सेक्टर, भिलाई नगर तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायलय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 03 जून 2013

प्र. क्र./ /ब-113 (1)/वर्ष 2012-13

क्रमांक/296/अ वि अ /ट्रस्ट/2013.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक जनार्दन अग्निहोत्री आत्मज स्व. लक्ष्मण अग्निहोत्री ने निवृत्ति आश्रम जन कल्याण समिति आश्रम ट्रस्ट, महादेव घाट रायपुरा, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता : "निवृत्ति आश्रम जन कल्याण समिति आश्रम ट्रस्ट" महादेव घाट रायपुरा, रायपुर, तहसील व जिला रायपुर.
2. चल संपत्ति : निरंक
3. अचल संपत्ति : निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 09-07-2013 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 03-06-2013 को जारी.

रायपुर, दिनांक 07 जून 2013

प्र. क्र./ /ब-113 (1)/वर्ष 2012-13

क्रमांक /297/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2013.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक इंदरमल सचदेव आत्मज स्व. संतुमल सचदेव, निवासी -रमण मंदिर, वार्ड क्रमांक 21 ने सचदेव धर्मशाला ट्रस्ट, हाउस नं. 822/2 रमण मंदिर, वार्ड नं. 21 तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	"सचदेव धर्मशाला ट्रस्ट" हाउस नं. 822/2 रमण मंदिर, वार्ड नं. 21 तहसील व जिला-रायपुर
2.	चल संपत्ति	:	5000/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 15-07-2013 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 07-06-2013 को जारी.

रायपुर, दिनांक 07 जून 2013

प्र. क्र./ /ब-113 (1)/वर्ष 2012-13

क्रमांक /298/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2013.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक मौलाना मोहम्मद अली फारूकी, निवासी -बैजनाथपारा रायपुर, मौलना अब्दुल रऊफ वार्ड, मदरसा के पीछे रायपुर ने हजरत मोहसिने मिल्लत ट्रस्ट, मदरसा इस्लाहुल मुस्लेमीन दाऊल यतामा, मौलाना अब्दुल रऊफ वार्ड, बैजनाथपारा रायपुर, तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम व पता	:	"हजरत मोहसिने मिल्लत ट्रस्ट" मदरसा इस्लाहुल मुस्लेमीन दाऊल यतामा, मौलना अब्दुल रऊफ वार्ड, बैजनाथपारा रायपुर, तहसील व जिला रायपुर.
2.	चल संपत्ति	:	5000/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 15-07-2013 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 07-06-2013 को जारी.

रायपुर, दिनांक 10 जून 2013

प्र. क्र./ /ब-113 (1)/वर्ष 2012-13

क्रमांक/302/अ. वि. अ./ट्रस्ट/2013.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक सुनील जौहरी आत्मज रमेश सहाय जौहरी, निवासी -टिल्लू चौक, पुरानीबस्ती, रायपुर द्वारा श्री रमेश सहाय मेमोरियल ट्रस्ट, किलकारी टिल्लू चौक, पुरानीबस्ती रायपुर, तहसील व जिला रायपुर का छ. ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम त पता	:	" श्री रमेश सहाय मेमोरियल ट्रस्ट" किलकारी टिल्लू चौक, पुरानीबस्ती रायपुर, तहसील व जिला रायपुर.
2.	चल संपत्ति	:	10,000/- रु. नगद
3.	अचल संपत्ति	:	निरंक

यदि किसी भी व्यक्ति को उक्त ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरुचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 19-07-2013 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 10-06-2013 को जारी.

बी. सी. साहू,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.